फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत जिला कलक्टर मुकाम धौलपुर

बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेडा बनाम रोहित

किस्म मुकदमा:–अन्तर्गत धारा 14 सराफेशी एक्ट 2002 मु0 नम्बर 13 सन् 2024

GCMS No. 2024/ 2024/64

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुय
14.10.24	यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रकशन ऑफ फाइनेन्सियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरस्ट एक्ट, 2002 के तहत प्रार्थी श्री जे0पी0 यादव प्राधिकृत अधिकारी बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा राजाखेडा ने ऋणी/बंधक कर्त्ता 1.श्री रोहित पुत्र श्री हरीसिंह निवासी (अ)बार्ड न0 17, पीरकी मोहल्ला, राजाखेडा धौलपुर राज0 328025 (ब) मैसर्स रोहित जनरल स्टोर, बार्ड न0 17, पीरकी मोहल्ला राजाखेडा धौलपुर राज0 328025 के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को दिनांक 12.06.2023 को खाता संख्या 44200600000706 में रूपये 746000 (सात लाख छियालीस हजार) का ऋण स्वीकृत किया था, इस हेतु जमानती ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये थे। ऋण राशि निम्न परिसम्पत्ति, प्रतिभूति करार के अन्तर्गत प्रतिभूति आस्ति से रक्षित है:– श्री रोहित सिंह पुत्र श्री हरी सिंह की हुण्डाई ग्रेण्ड आई 10, निऑन 1.2 एमटीकापा स्पोर्टज इंजन न0 जी4एलएपीएम4904024, चेसिस न0 एमएएलबी351सीएलपीएम431732, निर्माण वर्ष 2023, रंग टीयल ब्लू ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजों को निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से सम्यबंधक किया है, तथा प्रदत्त ऋण पर ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक होने पर अतिरिक्त ब्याज करार की शर्तों के अनुसार देय है। ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 04.06.2024 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपत्ति(एन0पी0ए0) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया। तथा दिनांक 11.06.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस भेजकर 60 दिन में ऋण राशि 7,02,690/– दिनांक 04.06.2024 तक एंव इस दिनांक के बाद की ब्याज व खर्चे अतिरिक्त भुगतान करने की मांग की। ऋणी 60 दिन में उक्त राशि अदा करने में असफल रहें। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा अपने पास बतौर बंधक रखी सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु The securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है। हमने प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। ऋणी/बंधक कर्त्ता द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी ऋण राशि का शर्तो के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर The securitization and reconstruction	

of financial assets and enforcement of the security interest act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र अनुसार बंधक रखी सम्पति श्री रोहित सिंह पुत्र श्री हरी सिंह की हुण्डाई ग्रेण्ड आई 10, निऑन 1.2 एमटीकापा स्पोर्टज इंजन न0 जी4एलएपीएम4904024, चेसिस न0 एमएएलबी351सीएलपीएम431732, निर्माण वर्ष 2023, रंग टीयल ब्लू जिसका भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस से प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पुलिस अधीक्षक धौलपुर को परवाना जारी किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीनिधि बी टी)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,